

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1787

दिनांक 12/12/2021

प्रार्थी :-

1. भगाराम पुत्र रामचन्द्र
जाति जाट,
निवासी ताजाणियों का तला (कापराऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. नमाज पुत्र हामिद एवं विप्रार्थी सं. 2 से
34, निवासी ताजाणियों का तला कापराऊ
35. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 117/2021

दिनांक : 12.12.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा ताजाणियों का तला के खेत खसरा सं. 366/296 रकबा 14.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1788 to 1791

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भगाराम
3. विप्रार्थीगण नमाज वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन OK

दिनांक 12/12/2021



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन